गैर ज०वि० खतौनी उद्धरण ग्राम ~~[illegible]~~ गासी पटवारी क्षेत्र- लोहारखेत तहसील - कपकोट जिला- बागेश्वर।

श्रेणी 9(3)ख² अन्य वन।

खाता सं०	खातेदार का नाम	क्र. सं.	खेत नम्बर	रकबा	लगान रु. पै.	विवरण
112	जंगल		2637	0.390	[illegible]	N2
			2640	1.960	"	
			2642	5.000	"	
			2773	0.076	"	
			2847	3.500	[illegible]	
			3181	1.560	"	
			3182	5.880	"	
			क्रमशः			
			3335	2.388	[illegible]	
			3336	19.120	"	
			3357	2.000	"	
			क्रमशः			
			10518	1.170	[illegible]	
			10632	5.313	[illegible]	
			10671	1.600	"	
			10781	5.625	"	
			10782	0.930	"	
	योग		67	255.674		

① कफल्टी [illegible] से गाजली [illegible] तक — 8.260

② [illegible] के पास [illegible] तक — 5.360

महोदय, खतौनी उद्धरण तैयार किया।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र........लोहारखेत....
तहसील-कपकोट (बागेश्वर)
6/6/16

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण टिप्पणी रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ग्राम ओलिग, भैरु, ओखलधार की 1.172 है0 वन पंचायत भूमि, 1.386 है0सिविल भूमि एवं आरक्षित भूमि 0.122 है0 कुल 2.680 है0 भूमि निर्माण कार्य एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम ....खारबी.......... के ....९(३) ख/........ के मध्ये **5.360** है0 सिविल भूमि क्षतिपरूक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में ....९(३)ख........ में भूमि दर्ज है। जो ग्राम ...खारबी... पटवारी क्षेत्र लोहारखेत तहसील–कपकोट...., जिला–बागेश्वर के नियंत्राणाधीन है।

शासनादेश संख्या 883(i)/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882 viii(2)/11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक .... द्वारा दिनांक 6/6/16 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं है तथा वन स्वरुप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरुप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपुक्त है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

ह0/-
वन क्षेत्राधिकारी
(राजि अधिकारी)